

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2020/ 83

दिनांक :- 24.06.2020

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जप्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा 23918.46 टन आरक्षित दर 700/-रु. प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स जयपुर द्वारा अनुमोदित) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। सुविधा की दृष्टि से 23918.46 टन बजरी को सात समूहों में बांटा गया है जिसका का विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/- रु. का डी.डी./बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता, जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 20 जुलाई 2020 (दोपहर 1.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी हेतु बजरी समूहों का संक्षिप्त विवरण-

क्र. सं.	समूह का विवरण	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	न्यूनतम बोली राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	समूह-ए	2370	1659000/-	50000/-	1000/-
2	समूह-बी	2683	1878100/-	50000/-	1000/-
3	समूह-सी	940	658000/-	50000/-	1000/-
4	समूह-डी	4871	3409700/-	50000/-	1000/-
5	समूह-ई	1342	939400/-	50000/-	1000/-
6	समूह-एफ	4810	3367000/-	50000/-	1000/-
7	समूह-जी	6902.46	4831722/-	50000/-	1000/-
	योग	23918.46	16742922/-	350000/-	7000/-

सात समूहों (पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों) में पड़ी जप्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन 23918.46 टन की प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग बोली दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 20 जुलाई 2020 (सांयकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

324/06/2020  
(अनिल गुप्ता)  
खनि अभियन्ता जयपुर